<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u>

मलाला ऑडिटोरियम में संविधान दिवस समारोह का हुआ भव्य आयोजन

दीव समाहर्ता श्रीमती सलोनी राय ने संविधान के प्रस्तावना का पठन कराया

दीव 26 नवम्बर, 2019: दीव के मलाला स्थित ऑडिटोरियम में संविधान दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर संघ प्रदेश दमण-दीव तथा दादरा नगर हवेली के मुख्य वन संरक्षक श्री के. रविचंद्रन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। साथ ही दीव समाहर्ता श्रीमती सलोनी राय, दीव एस.पी. श्री हरेश्वर स्वामी, दीव नगर पालिका के अध्यक्ष श्री हितेश सोलंकी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्रीमती अश्विनी भरत दीव उप-समाहर्ता श्री हरमिंदर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री वैभव रिखारी, मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इसके अलावा दीव जिला प्रशासन के आला अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं विविध विद्यालयों के छात्र-छात्राएं भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की शुरूआत राष्ट्रगान की प्रस्तुति से हुई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दीव बालभवन एवं सरकारी उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय, दीव की छात्राओं ने देशभक्ति गीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंचन किया। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य संविधान के प्रति निष्ठा और कर्तव्य-परायणता की ज्योत जलाना था। इस दौरान संविधान के निर्माण और उसके अंगीकार पर बनी लघू फिल्म का प्रदर्शन किया गया।

इस मौके पर दीव समाहर्ता श्रीमती सलोनी राय ने संविधान में उल्लिखित और उद्देशिका का पठन किया और सभी उपस्थित गणमान्य को संविधान के प्रस्तावना का पठन कराया। दीव जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री वैभव रिखारी ने संविधान के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए संविधान की प्रस्तावना में निहित अर्थों पर विचार व्यक्त किये। उन्होंने प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों की गुढ़ता के बारे में सबको अवगत कराया। विदित हो कि आज ही के दिन सन् 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया था। यही कारण है कि 26 नवम्बर को हर वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा, तब जाकर संविधान की रूपरेखा तैयार हुई थी। संविधान निर्माता डॉ. बाबा साहेब अंबेदकर ने भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

कार्यक्रम में संविधान के प्रति अपने विचार प्रस्तुत करते हुए मुख्य अतिथि श्री के. रविचंद्रन ने बताया कि संविधान हमारे देश की गरिमा और एकता के सूत्र में पिरोने का धागा है। हमें संविधान में वर्णित 11 मौलिक कर्तव्यों को लोगों के समक्ष लाने पर बल दिया। भारत का संविधान ही है जिसने हमें अनेकता में एकता का आवरण दिया है। हमारे देश में कोस-कोस की फासले पर ही बोली बदल जाती है। कई मज़हब और धर्म के लोग इस भारतवर्ष में निवास करते हैं। यह भारतीय संविधान की शक्ति ही है जो इतने रंगों को तिरंगे में संजो कर रखे हुए है। दीव समाहर्ता ने भारतीय संविधान को

विश्व का सर्वाधिक सुसज्जित एवं सुनियोजित संविधान बताया। उन्होंने संविधान के संदर्भ में कहा कि यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि हम उस देश में जन्म लिये हैं जहां का संविधान सबको बराबर का हक प्रदान करता है। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थितों ने देश के संविधान के प्रति निष्ठावान बने रहने का संकल्प लिया।